प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

)नवंबर, 2020(

*****

1. **फ्लैगशिप कार्यक्रम की प्रगति:**

1.1 लगभग 1,04,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एबी- एच डब्ल्यूसीएस) को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। 26 नवंबर, 2020 तक इनमें से 50,687 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र प्रचलन में लाए जा चुके हैं, जबकि मार्च, 2021 तक 70,000 केंद्रों को प्रचालन में लाने का लक्ष्य है।

1.2 आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पीएमजेएवाई प्रगति का सार- नवंबर, 2020			
मीट्रिक	**01-11-2020**	**01-12-2020**	**नवंबर 2020 में प्रगति**
जारी किए गए ई- कार्डस की सं.	12.64 करोड़	12.69 करोड़	4,54,196
अस्पतालों में भर्ती रोगियों की सं.	1.37 करोड़	1.43 करोड़	5,85,575
अस्पताल में भर्ती हेतु अधिकृत राशि (हजार रू. में)	16,974 करोड़	17,664 करोड़	689.9 करोड़
पैनल बद्ध अस्पताल	23,626 करोड़	24,002	376

टिप्पणी: उक्त सूचना, राज्य योजनाओं के सहयोग में पीएमजेएवाई के अतंर्गत समर्थित लाभार्थियों से संबंधित है। चूंकि एपीआई में इतिहास संबंधित डेटा कुछ राज्यों द्वारा ही दिया जा रहा है, इसलिए आकड़ों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। राज्यों द्वारा, उनकी निजी आईटी प्रणालियों का उपयोग कर के पीएमजेएवाई लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 4.68 करोड़ कार्ड बनाए गए।

2. **कोविड- 19 टीका तैयारी**

2.1 डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग की अध्यक्षता और सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सह- अध्यक्षता में दिनांक 11, 19 और 27 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय कोविड- 19 टीका प्रशासन विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की तीन बैठके आयोजित की गई।

2.2 लक्षित श्रोता, प्रशिक्षण ढांचे कोविड- 19 टीके हेतु प्रशिक्षण मंच विषयक दिशा- निर्देश नोट अनुमोदित कर दिया गया है। डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.3 कोविन सोफ्टवेयर मॉडयूल विकास के अर्तिम चरण में है।

3. **वैधानिक एवं नियामक उपाय:**

3.1 दिनांक 25-11-2020 के पत्र के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ओवर-द-टॉप (ओटीटी) मंचों पर कंटेंट ब्रोडकास्ट/ वेबकास्ट में तंबाकू के सेवन के दृश्यों के विज्ञापन एवं चित्रण को विनयमित करने का अनुरोध किया गया है। सिगरेट एवं अन्य तबांकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार तथा व्यवसाय उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य उपयुक्त विधिक नियमों के अनुसार अपेक्षित है कि डिजिटल मीडिया ओर ओटीटी जैसे अन्य नए प्रौद्योगिकी मंच विधि का पालन करें।

3.2 एफएसएसएआई द्वारा निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई:-

I. प्रारूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक विशेष चिकित्सा उद्देश्यों हेतु स्वास्थ्य संपूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स एवं खाद्य, फंक्शनल खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 (3-11-2020 को अधिसूचित)।

II. प्रारूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य फोर्टिफिकेशन) संशोधन विनियम, 2020, फोर्टिफाईड मिल्क पाउडर के संबंध में (10-11-2020 को संशोधित)

III. विदेशी खाद्य विनिर्माण केंद्रों के पंजीकरण एवं निरीक्षण से संबंधित प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2020 (10-11-2020 को अधिसूचित)।

IV.बहु स्रोत वाले खाद्य वनस्पति तेलों की लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोंधन विनियम, 2020 पर प्रारूप अधिसूचना (10-11-2020 को अधिसूचित)।

V. सरसों के तेल मिश्रण के निषेध संबंधी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय निषेध एवं प्रतिबंध) संशोधन, विनियम, 2020 पर प्रारूप अधिसूचना (10-11-2020 को अधिसूचित)।

Vi.खाद्य सुरक्षा एवं मानकर (खाद्य व्यवसाय की लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2020 (17-11-2020 को अधिसूचित)।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

4.1 धोखाधड़ी के पुष्ट मामलों पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने के मामले में एक एस्केलेशन मैट्रिक्स के स्वचलन के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से व्हिसलब्लोअर सूचना या अन्य शिकायतों से निपटने के लिए प्राधिकरण एक एस्केलेशन मैट्रिक्स का भी विकास कर रहा है।

4.2 ओडिसा को एबी-पीएमजेएवाई में शामिल करने की संभावना का पता लगाने के लिए एनएचए ने ओडिशा राज्य का दौरा किया।

4.3 पीएमजेएवाईआईटी प्रणाली में कार्यान्वित धोखाधड़ी विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित अनुपालन के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई।

4.4 योजना की पोर्टेबिलिटी विशेषता के बारे में जागरूकता के सृजन के लिए एनएचए ने आकाशवाणी पर एक अभियान का आयोजन किया।

4.5 (i) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के पात्र लाभार्थियों और उनके आश्रितों तथा (ii)सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के लिए एनएचए और विभिन्न अस्पतालों के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

5. विविध:

5.1. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस विभाग के साथ राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियोजन की प्रकृति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 19.11.2020 को एक बैठक की अध्यक्षता की।

5.2. माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलिशन (जीपीसी)-एचआईवी रोकथाम 2021-2025 की मंत्रिस्तरीय वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसका आयोजन दिनांक 18 नवंबर 2020 को यूएनएड्स और यूएनएफपीए द्वारा स्टॉक लेने और भविष्य की योजना बनाने के लिए किया गया था। बैठक में एचआईवी रोकथाम और इससे संबंधित रोडमैप को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने अगले पांच वर्षों में एचआईवी की रोकथाम संबंधी प्रयासों का विस्तार करने और उन्हें बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराया।

5.3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना- नेशनल एक्शन प्लान फोर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) योजना के तहत नशा मुक्त भारत अभियान वाले जिलों के संबध में मादक द्रव्यों के सेवन के क्षेत्र में चिकित्सा पेशेवरों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण से संबंधित सभी पहलुओं में

सहायता प्रदान करने के लिए नशा मुक्ति कार्यक्रम (डीडीएपी) संबंधी संस्थानों के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मैपिंग की गई है और इसे सभी राज्यों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

5.4.सीजीएचएस के तहत "जीवन शैली संबंधी रोग (एनसीडी) और कोविड-19 का प्रभाव तथा " स्वास्थ्य जीवन शैली " के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए वेबिनार आयोजित किया गया और क्रमशः दिनांक 10.11.2020 और दिनांक 24.11.2020 को उद्घाटन सत्रों का आयोजन किया गया। इसमे लगभग 1000 लाभार्थियों और अन्य लोगों ने भाग लिया

5.5.अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा नवंबर, 2020 से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (एनएफएचएस-5) के चरण- II के सर्वेक्षण संबंधी फील्ड ऑपरेशन का संचालन फिर से शुरू किया गया जिन्हे कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित किया गया था। एनएफएचएस -5 राज्य स्तरीय तथ्यात्मक शीट की प्रस्तुति के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 27 नवबंर, 2020 को चरण- I के 22 राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया

5.6.कोडेक्स एलेमेंट्रियस कमीशन (सीएसी) के 43वें सत्र का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। दिनांक 24,25,26 सितंबर, 2020 , दिनांक 12, 19 अक्टूबर, 2020 को विचार विमर्श का आयोजन किया गया और फिर दिनांक 5 और 6 नवबंर 2020 को रिपोर्ट को अपनाया गया। सीएसी 43 में निम्नलिखित कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा की गई जो भारत से संबंधित विषय हैं: मसौदे को अंतत: कोडेक्स टेक्सट्स/ मानक के रूप में अपनाया गया:

I. चिली सॉस संबंधी मानकों पर प्रस्तावित मसौदा
II. मैंगो चटनी संबंधी मानकों पर प्रस्तावित मसौदा
III. वेयर पैटेटौ संबंधी मानकों पर प्रस्तावित मसौदा
IV. व्यवहार संहिता संबंधी मसौदा (खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांत (सीएक्सी 1-1969) और इसका एचएसीसीपी अनुलग्नक)
V. व्यवहार संहिता संबंधी मसौदा (खाद्य व्यापार ऑपरेटरों के लिए खाद्य एलर्जेन प्रबंधन से संबंधित(

आयोग ने चरण- 5/8 एवं 8 पर उक्त मानकों के प्रारूप (I- IV) को अपनाया था जो मूल रूप से भारत द्वारा प्रस्तावित और तैयार किए गए थे।

)क(. चरण 5 में कोडेक्स टेक्सट्स के रूप में निम्नलिखित मानकों के मसौदे को अपनाया गया है।

i. अनुवर्ती कार्यवाई की विधि संबंधी मानक: खंड ख: प्रस्तावित मसौदा कार्यक्षेत्र, परिभाषा और लेबलिंग
ii. खाने हेतु तैयार चिकित्सीय खाद्य पदार्थों)आरयूटीएफ) संबंधी मार्गदर्शन
iii. जैविक खाद्य जनित प्रकोपों के प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शन
iv. खाद्य जनित रोगाणुरोधी प्रतिरोध (सीएक्ससी 61-2005) को कम करने और नियंत्रित करने के लिए अभ्यास संहिता का संशोधन

)ख) नए कार्य प्रस्ताव के रूप में आयोग द्वारा खाद्य उत्पादन में पानी के सुरक्षित उपयोग और पुन: उपयोग संबधी दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी।

******